

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), गुजरात
ऑडिट भवन नवरंगपुरा शाखा अहमदाबाद
परिपत्र संख्या: WM-I/ 11 दिनांक:- 19-12-2023

1. समूह 'ए' या 'बी' पद रखने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम संख्या 18 (1) के खंड (ii) में निहित प्रावधानों के अनुसार एक वार्षिक रिटर्न जिसमें उसे विरासत में मिली या उसके स्वामित्व वाली या अर्जित की गई या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पट्टे या बंधक पर रखी गई अचल संपत्ति के बारे में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. संभागीय लेखाकार संवर्ग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023 (31/12/2023 तक) के लिए अचल संपत्ति का विवरण संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें।
3. "पिछले वर्ष के समान" या "कोई परिवर्तन नहीं" जैसे वाक्यांशों के साथ अचल संपत्ति रिटर्न पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. रिटर्न 31/01/2024 को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाना चाहिए, ऐसा न करने पर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

GENERAL

सेवा में,

संभागीय लेखाकार संवर्ग
गुजरात

Signed by Veena Mohan
DEPUTY ACCOUNTANT
Date: 19-12-2023 15:23:45
Reason: Approved
उप महालेखाकार (ए एव ई)

वर्ष के लिए दिनांक _____ कि स्थिति

प्रथम नियुक्ति होने तक प्राप्त अचल संपत्ति का विवरण।

अधिकारी का पूरा नाम:-

वर्तमान पद ग्रहण करने से पूर्व अधिकारी जिस सेवाविभाग से संबंधित है, उसका नाम:-

अचल संपत्ति जहां स्थित है, उस जिला, उपविभाग, तालुका एवं गाँव का नाम	अचल संपत्ति का विवरण		वर्तमान मूल्य/कीमत (अ)	संपत्ति यदि उनके अपने नाम न होकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है, तो उस व्यक्ति के नाम एवं अधिकारी का उससे क्या संबंध है यह दर्शाए	संपत्ति खरीद की गई है, पैतृक संपत्ति है बंधक, पट्टे पर ली गई है या किसी अन्य प्रकार से ली है, इसकी जानकारी और जिस व्यक्ति से (ब) प्राप्त की गई है उसका नाम आदि की जानकारी।	संपत्ति से प्राप्त होने वाली वारसविक आय	अभ्युक्ति टिप्पणी
	सकान	जमीन					
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक : _____ इस्तेमाल

नाम नहीं होते हैं को निकाल दें:-

(V) यदि संपत्ति की शर्तों कीमत निर्धारित नहीं की जा सके, तो वर्तमान समय में उसकी लगभग कीमत जो हो, उसे दर्शाएँ।
 (ब) इसमें कम समय के लिए पट्टे पर ली गई संपत्ति भी शामिल है।

केंद्रीय सिविल से (आचारण) नियमावली 1984 के नियम 18(1) अनुसार, वर्ग 1 एवं 11 के सभी सदस्यों के लिए प्रथम सेवा नियुक्ति एवं उसके बाद पत्येक 12 महीनों के अंतराल पर यह घोषणापत्र, अपनी मालिकी की /अर्जित/पैतृक/पट्टे पर ली गई/बंधक (जिरवी) संपत्ति, जो उसके अपने नाम पर, उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, उसकी पूरी जानकारी के साथ परस्तुत करना आवश्यक है।